तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ अजमेर(राज) दीवानी दावा संख्या– 01/2023 सी.आई.एस संख्या– 01/2023 कल्याण बनाम गीता देवी वगैरह 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
20.01.2026	वकील पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र दिनांकित 08.12.2025 का जबाव प्रस्तुत किया। जिस पर उभयपक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा इकरारनामा दिनांकित 26.05.2021 के माध्यम से कुल **नौ लाख रूपये** राशि का नगद संव्यवहार किया गया है। जहां तक यह संव्यवहार सात व्यक्तियो द्वारा किये जाने का प्रश्न है इस संबध में वादीगण सक्षम आयकर अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति उठाने हेतु स्वतंत्र है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील संख्या 5200/2025 (SLP(C) नम्बर 13679/2022) The Correspondence RBANMS Educational Institute vs B. Gunashekar & Another** मे पारित निर्णय दिनांकित **16.04.2025** में आदेशित किया गया है कि **01.04.2017** के पश्चात यदि दो लाख रूपये या उससे अधिक का कुल नगद संव्यवहार किसी पक्षकार द्वारा किया गया है और इस संबंध में कोई वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी सूचना क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर विभाग को प्रेषित की जावेगी। जिस पर संबंधित आयकर विभाग धारा 269ST आयकर अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में विधि अनुसार कार्रवाई कर इस न्यायालय को सूचित करेगा। चूकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा जरिये इकरारनामा **नौ लाख रूपये** से अधिक का नगद संव्यवहार किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्वांतो की रोशनी में यह न्यायालय प्रधान आयकर आयुक्त अजमेर को यह आदेशित करती है कि वह उक्त इकरारनामें मे वर्णित दो लाख रूपये से अधिक के संव्यवहार के संबंध में धारा 269ST आयकर अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही कर एक माह में इस न्यायालय को सूचित करे। कार्यालय लिपिक को यह आदेशित किया जाता है कि वह इकरारनामे की एक प्रमाणित प्रति प्रधान आयकर आयुक्त अजमेर को इस आदेशिका की प्रमाणित प्रति के साथ पृथक से प्रेषित करे। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि हस्तगत वाद इकरारनामा दिनांकित **26.05.2021** की विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए प्रस्तुत किया गया है।	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ अजमेर(राज) दीवानी दावा संख्या– 01/2023 सी.आई.एस संख्या– 01/2023 कल्याण बनाम गीता देवी वगैरह 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत दस्तावेज ''इकरारनामा बय'', जिसकी विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है, वह दिनांक **26.05.2021** का निष्पादित है और वह 500/– रुपये स्टांप पर लिखा गया है और वह अपंजीकृत है। दस्तावेज में संपत्ति की कुल कीमत **नौ लाख रूपये** तय हुई है।

भारतीय स्टांप अधि. 1948 एवं राज0 स्टांप अधि0, 1998 की अनुसूची 1 के आर्टिकल 5 के अनुसार दिंनाक 27.05.2004 के संशोधन के पश्चात निष्पादित दस्तावेज पर प्रतिफल की राधि के 3 प्रतिशत पर स्टांप डयूटी अदा की जानी चाहिए। भारतीय स्टांप अधि. 1948 की धारा 35 एवं राज0 स्टांप अधि0, 1998 की धारा 39 के तहत अपर्याप्त स्टाम्पित दस्तावेज साक्ष्य में ''किसी भी उददेश्य के लिए'' ग्राहय नहीं होना प्रावधित किया गया है। इसी प्रकार धारा 17**(1)** के तहत इस दस्तावेज का पंजीकरण आवश्यक है, धारा 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वह अपंजीकृत दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं होगा, परंतु धारा 49 में दिये गये 'परंतुक' के अनुसार ऐसे दस्तावेज को संपार्शिवक उददेश्य हेतु या स्थावर संपत्ति पर प्रभाव डालने वाली होने पर विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत अनुपालना के वाद में संविदा का साक्ष्य के रुप में, साक्ष्य में ग्राहय किया जा सकेगा।

इन दोनों ही विधिक प्रावधानों को एक साथ रखते हुए देखा जाये तो यह स्पष्ट है कि यदि दस्तावेज पर केवल मात्र रजिस्ट्रीकृत नही होने का उज्र है तो उक्त दस्तावेज को तो सीमित उददेश्य के लिए साक्ष्य में ग्राहय किया जा सकता है, परंतु अपर्याप्त तौर पर स्टाम्पित या अपर्याप्त तौर पर स्टाम्पित एवं अपंजीकृत दस्तावेज को किसी भी उददेश्य के लिए साक्ष्य में ग्राहय नही किया जा सकता है।

धारा 36 स्टाम्प अधि. एवं राज0 स्टाम्प अधि0 , 1998 की धारा 39 के प्रावधानो की तरफ देखा जाये तो यह पाया जाता है कि उसमे अपर्याप्त रुप से स्टाम्पित दस्तावेज के लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि दस्तावेज अपर्याप्त रुप से स्टाम्पित है तो उसे परिबद्ध किया जायेगा ओर परिबद्ध दस्तावेज पर यदि स्टाम्प डयूटी और पेनेल्टी अदा कर दी जाती है तो उसे साक्ष्य में ग्राहय किया जा सकेगा। लिहाजा स्टाम्प डयूटी व पेनेल्टी अदा होने पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त हो जाता हे। अतः ऐसी स्थिति में केवल अपंजीकृत होने का

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ अजमेर(राज) दीवानी दावा संख्या– 01/2023 सी.आई.एस संख्या– 01/2023 कल्याण बनाम गीता देवी वगैरह 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

दोष शेष रहने से धारा 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट के परंतुक के अनुसार प्रश्नगत दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राहय किया जा सकता हे।

अतः इकरारनामा दिनांकित **26.05.2021** को परिबद्ध किया जाता है। दस्तावेज की प्रामाणित प्रति प्रस्तुत होने पर मूल दस्तावेज न्यायालय की तहरीर के साथ सक्षम अधिकारी उपमहानिरीक्षक(मुद्रांक) एवं कलेक्टर मुद्रांक, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाये कि उस पर मुद्रांक शुल्क व शास्ति का निर्धारण कर कमी पूर्ति करवा कर 15 दिवस की अवधि में न्यायालय को वापिस प्रेषित किया जाये। वादी को निर्देशित किया जाता हे कि वह सक्षम अधिकारी के समक्ष उप0 होकर कमी पूर्ति की कार्यवाही करे। कमी पूर्ति होकर प्राप्त होने पर दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय किया जा सकेगा। तहरीर के साथ मूल इकरारनामा अधिवक्ता वादी को दस्ती दिया जावे।

आदेश सुनाया गया।

दस्तावेज आदेशानुसार कमी पूर्ति हेतु भेजा जावे। पत्रावली वास्ते न्याय शुल्क की पूर्ति होकर प्राप्त होने इकरारनामा एवं जबावदावा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 हेतु दिनांक **17.03.2026** को पेश हो।

(संदीप आनन्द)
अपर जिला न्यायाधीश सं.1,
किशनगढ अजमेर

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ अजमेर(राज) दीवानी दावा संख्या– 01/2023 सी.आई.एस संख्या– 01/2023 कल्याण बनाम गीता देवी वगैरह 4	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये